

मंडल की 24 अगस्त 2021 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	126	3 अगस्त 2021 को आयोजित मंडल की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि.	मंडल की 3.8.2021 को हुई बैठक की कार्यवृत्त को संशोधन/सुधार के साथ पुष्टि की जाती है.	सामान्य प्रशासन
2.	127	आर आर झोन 10/78 बी (मझगाँव प्रभाग) के लिए मझगाँव रेक्लेमेशन इस्टेट स्थित भूखंड संख्या 337 तथा आरआर झोन 10/78 ए (मझगाँव प्रभाग) के लिए सांताक्रुज इस्टेट स्थित न्यू शॉप संख्या 6 के संबंध में किए गए मूल्यांकन पर आधारित दरमानों के नियतन हेतु मूल्यांकन रिपोर्ट का विचार.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 8 में दी गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को तथा उन्हें अनुमोदन हेतु टैम्प को अग्रेषित करने को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
3.	128	आर आर झोन 11/85 तथा 11/86 परेल शिवडी प्रभाग में सभी भूखंडों हेतु दरमानों 2017-2022 के दर का विचार	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 1(III) में दी गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को तथा उन्हें अनुमोदन हेतु टैम्प को अग्रेषित करने को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
4.	129	फ्रियर लैण्ड इस्टेट, मुंबई - 400033 स्थित आर आर संख्या 1745 (मेसर्स सज्जादी खान्नुम तथा 12 अन्य), आर आर झोन 11/84, परेल शिवडी प्रभाग (कोड संख्या 10202130) के संबंध में किए गए मूल्यांकन पर आधारित दरमानों के नियतन हेतु मूल्यांकन रिपोर्ट का विचार.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 7 में दी गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को तथा उन्हें अनुमोदन हेतु टैम्प को अग्रेषित करने को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
5.	130	(i) पट्टा भूखंड संख्या 4 (श्री इद्रिस हुसेन शेख) (ii) आर आर संख्या 1946 (हंसराज बाहरी तथा 6 अन्य) (iii) आर आर संख्या 2075 (मेसर्स ल्युब्रिकंट अलाइड प्रॉडक्टस् मॅन्यु. कं.प्रा.लि. शिवडी इस्टेट, आर आर झोन 11/84 ए परेल शिवडी प्रभाग स्थित सभी तीनों के संबंध में किए गए मूल्यांकन पर आधारित दरमानों के नियतन हेतु मूल्यांकन रिपोर्ट का विचार.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 5 में दी गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को तथा उन्हें अनुमोदन हेतु टैम्प को अग्रेषित करने को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
6.	131	कॉटन डिपो मझगाँव शिवडी रेक्लेमेशन इस्टेट स्थित भूमि के भूखंड धारण किए (i) आर आर संख्या 976 तथा 1549, सी.एस. संख्या 262/145 (ii) आर आर संख्या 1047, सी.एस. संख्या 282/145 (iii) आर आर संख्या 1846, सी.एस. संख्या 410/145 के संबंध में किए गए मूल्यांकन पर आधारित दरमानों के नियतन हेतु मूल्यांकन रिपोर्ट का विचार.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 7 में दी गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को तथा उन्हें अनुमोदन हेतु टैम्प को अग्रेषित करने को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
7.	132	आर आर 3/36 के लिए दरमानों 2017-22 की मूल्यांकन रिपोर्ट का विचार.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 6 में दी गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को तथा उन्हें अनुमोदन हेतु टैम्प को अग्रेषित करने को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
8.	133	प्रिंसेस गोदी प्रभाग के झोन 3/35 के दरमानों 2017-22 के नियतन हेतु मूल्यांकन रिपोर्ट का विचार	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 8 में दी गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को तथा उन्हें अनुमोदन हेतु टैम्प को अग्रेषित करने को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
9.	134	आर आर 3/35 बी के लिए दरमानों 2017-22 के मूल्यांकन रिपोर्ट का विचार.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 8 में दी गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को तथा उन्हें अनुमोदन हेतु टैम्प को अग्रेषित करने को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
10.	135	ससून गोदी इस्टेट (आर आर झोन 1/6 ए कुलाबा प्रभाग) के मूल्यांकन रिपोर्ट का विचार. उस बारे में भूमि आबंटन समिति की सिफारिश	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 3 तथा 4 में दी गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को तथा उन्हें अनुमोदन हेतु टैम्प को अग्रेषित करने को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
11.	136	दरमानों 2017-22 के नियतन हेतु जमशेदजी बंदर कुलाबा (आर आर झोन 1/6 ए कुलाबा प्रभाग के मूल्यांकन रिपोर्ट का विचार.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 4 तथा 5 में दी गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को तथा उन्हें अनुमोदन हेतु टैम्प को अग्रेषित करने को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
12.	137	भूमि आबंटन समिति द्वारा जवाहर द्वीप (जेडी) आइलैण्ड, मराठा मंदिर ऑफिस तथा जेडी स्थित पुनरुद्धार के अधीन 15 हेक्टर भूमि के मूल्यांकन रिपोर्ट का विचार तथा जेडी स्थित बीपीसीएल एचपीसीएल के पट्टों/लाइसेंसों का नवीनीकरण.	मंडल ने निम्नानुसार दिनांक 3.8.2021 की एलएसी की कार्यवाही रिपोर्ट के अनुसार जवाहर द्वीप मौजूदा भूमि तथा पुनरुद्धारित भूमि के लिए भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को अनुमोदन प्रदान किया:	संपदा

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
			<p>(1) न्या सं.सं. 189 वर्ष 2019 के तहत मंडल द्वारा अनुमोदित पहले की एलएसी की सिफारिशों का पुनर्विचार करने की एलएसी की सिफरिश तथा मौजूदा जेडी द्वीप तथा जेडी स्थित पनरुध्दार के अधीन भूमि के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट हेतु मूल्यांकक, श्री अविनाश पेंडसे द्वारा प्रस्तुत संशोधित मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित उसी को संशोधित करना.</p> <p>(2) मौजूदा जेडी द्वीप स्थित भूमि के दरमानों 2017-22 (1.10.2017 से 30.9.2022 तक) के नियतन हेतु पैरा 8 में दी गई एलएसी की सिफारिश.</p> <p>(3) मौजूदा जेडी द्वीप स्थित भूमि के दरमानों 2012-17 (1.10.2012 से 30.9.2017 तक) के नियतन हेतु परिच्छेद 9 में दी गई एलएसी की सिफारिश.</p> <p>(4) जवाहर द्वीप (जेडी) आइलैण्ड की बगल में पुनरुध्दार के अधीन लगभग 15 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र के दरमानों 2019-22 (1.10.2019 से 30.9.2022 तक) के नियतन हेतु परिच्छेद 10 में दी गई एलएसी की सिफारिश.</p> <p>(5) बीपीसीएल टैंक फार्म प्लॉट के समाप्त हुए पट्टे का बीपीसीएल द्वारा मान्य अवधि के लिए नवीनीकरण करने व बीपीसीएल उक्त दरमानों 2012-17 (बशर्ते मंडल/टैम्प अनुमोदन दें) तथा दरमानों 2017-22 (बशर्ते मंडल/टैम्प अनुमोदन दे) के अनुसार देय विभेदक बकायों का भुगतान करने के लिए राजी हो तथा दरमानों के</p>	

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
			<p>अनुसार अपफ्रंट प्रिमियम/वार्षिक पट्टा किरायों का भुगतान करने के लिए भी सहमत हो तो उस शर्त पर 23.4.2014 से पट्टे की समाप्ति से गतावधि को नियमित करने हेतु परिच्छेद 11 में दी गई एलएसी की सिफारिश.</p> <p>(6) बीपीसीएल सतेट कार्यालय भवन के समाप्त हुए पट्टे का बीपीसीएल द्वारा मान्य अवधि के लिए नवीनीकरण करने व बीपीसीएल दरमानों के अनुसार देय विभेदक बकायों का भुगतान करने के लिए राजी हो तथा अपफ्रंट/पट्टा किराये का भुगतान करने के लिए सहमत हो तो उस सर्तपर 15.10.1987 से पट्टे की समाप्ति से गतावधि को नियमित करने हेतु परिच्छेद 12 में दी गई एलएसी की सिफारिश</p> <p>(7) जवाहर द्वीप स्थित मराठा मंदिर भवन के लिए दरमानों के नियतन तथा जेडी स्थित मराठा मंदिर भवन में एचपीसीएल कार्यालय के समाप्त लीव्ह एण्ड लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु परिच्छेद 13 में दी गई एलएसी की सिफारिश.</p> <p>(8) जेडी स्थित ओएनजीसी प्लॉट को दरमानों के नियतन के इस प्रस्ताव से बाहर रखने तथा उस पर अलग से कार्रवाई करने हेतु परिच्छेद 14 में दी गई एलएसी की सिफारिश.</p> <p>(9) उक्त दरमानों के प्रस्तावों को अनुमोदन हेतु टैम्प के पास भेजना.</p>	
13.	138	दरमानों 2017-22 (आरआर झोन 1/4 कुलाबा प्रभाग) के नियतन हेतु पाइलट बंदर, कुलाबा के मूल्यांकन रिपोर्ट का विचार.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 4 में दी गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को तथा उन्हें अनुमोदन हेतु टैम्प को अग्रेषित करने को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
14.	139	फेरी व्हार्फ स्थित यात्री शेड (आर आर झोन 3/36 प्रिसेंस गोदी) के मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 3 से 6 में दी गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को तथा उन्हें अनुमोदन हेतु टैम्प को अग्रेषित करने को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
15.	140	कॉटन डिपो मझगाँव शिवडी रेक्लेमेशन इस्टेट स्थित भाग सीएस संख्या 1, झोन 10/79 ए, एच-ब्लॉक कॉटन डिपो के भूमि के भूखण्ड धारण किए (1) गोदाम संख्या 126 (इ) (2) गोदाम संख्या 111 (इ) (3) गोदाम संख्या 92 (डब्ल्यू) के संबंध में किये गये मूल्यांकन पर आधारित दरमानों के नियतन हेतु मूल्यांकन रिपोर्ट का विचार.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 7 में दी गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को तथा उन्हें अनुमोदन हेतु टैम्प को अग्रेषित करने को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
16.	141	आर आर झोन 14/101 ए दादर - नायगाँव प्रभाग, मुंबई - 400037 स्थित (1) स्टॉल संख्या 2 (2) शॉप संख्या 1 के संबंध में किये गये मूल्यांकन पर आधारित दरमानों के नियतन हेतु मूल्यांकन रिपोर्ट का विचार.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 8 में दी गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को तथा उन्हें अनुमोदन हेतु टैम्प को अग्रेषित करने को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
17.	142	माहिम रेती बंदर स्थित मुंपोट्ट की भूमि पर बृहन्मुंबई मनपा द्वारा माहिम बीच के सौंदर्यीकरण हेतु अनुमति.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 13 के अनुसार शर्तों तथा निबंधनों की शर्त पर माहिम रेती बंदर स्थित मुंपोट्ट की भूमि पर माहिम बीच/चौपाटी के सौंदर्यीकरण हेतु बृहन्मुंबई मनपा को अनुमति देने के लिए मंजूरी प्रदान की.	संपदा
18.	143	आरआर झोन 90/419, माहुल प्रभाग में सभी भूखंडों के लिए दरमानों 2017-22 का विचार.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 6 में दी गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को तथा उन्हें अनुमोदन हेतु टैम्प को अग्रेषित करने को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
19.	144	अपोलो रेक्लेमेशन इस्टेट, मुंबई स्थित आर आर-701, आर आर-677 तथा आर आर-701 और आर आर-677 के बीच सडक के मूल्यांकन रिपोर्ट का, इंडियन हॉटेल कं.लि.(ताज हॉटेल) को पट्टे पर दि गई झोन 1/6 ए के बारे में दरमानों 2017-22 का भूमि आबंटन समिति द्वारा नियतन का विचार.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 5 में दी गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को तथा उन्हें अनुमोदन हेतु टैम्प को अग्रेषित करने को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
20.	145	अपोलो रेक्लिमेशन इस्टेट, मुंबई स्थित आर आर-1174, आर आर-641 तथा आर आर-741 के मूल्यांकन रिपोर्ट का, झोन 1/6ए के बारे में दरमानों 2017-22 का भूमि आबंटन समिति द्वारा नियतन का विचार.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 4 में दि गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को तथा उन्हे अनुमोदन हेतु टैम्प को अग्रेषित करने को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
21	146	कुलाबा इस्टेट स्थित आर आर 1922 के मूल्यांकन रिपोर्ट का, झोन 1/3 ए के बारे में दरमानों 2017-2022 का भूमि आबंटन समिति द्वारा नियतन का विचार	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 4 में दि गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को तथा उन्हे अनुमोदन हेतु टैम्प को अग्रेषित करने को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
22	147	अपोलो रेक्लेमेशन इस्टेट, मुंबई स्थित आर आर- 697 तथा आरआर - 1236 के मूल्यांकन रिपोर्ट का, गृह अधिभोग हेतु झोन 1/6 ए के बारे में दरमानों 2017-22 का भूमि आबंटन समिति द्वारा नियतन का विचार	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 4 में दि गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को तथा उन्हे अनुमोदन हेतु टैम्प को अग्रेषित करने को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
23	148	अपोलो रेक्लेमेशन इस्टेट स्थित आर आर 1215 के मूल्यांकन रिपोर्ट का झोन 1/3 के बारे में दरमानो 2017-22 का भूमि आबंटन समिति द्वारा नियतन का विचार	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 4 में दि गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को तथा उन्हे अनुमोदन हेतु टैम्प को अग्रेषित करने को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
24	149	1.10.2017 से 30.9.2020 तक की अवधि के लिए किराये का मार्गाधिकार/ विशेष कराये का मार्गाधिकार शुल्क हेतु दरमानों (एसओआर) के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव.	मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया- (क) किराये का मार्गाधिकार शुल्क (अनुलग्नक) तय करने हेतु, दरमानों 2017-22 के लिए भूमि आबंटन समिति की स्वीकृति के लिए. (ख) टिप्पणी के पैराज 1 से 13 में दी गई प्रस्तावित कार्रवाई के लिए. (ग) पीजीएलएम 2014/15 के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदन प्राप्त करने हेतु टैम्प को अग्रेषण करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
25	150	मोदी बे इस्टेट स्थित आर आर 1308 के मूल्यांकन रिपोर्ट का, झोन 2/9 के बारे में दरमानो 2017-22 का भूमि आबंटन समिति द्वारा नियतन का विचार.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 4 में दि गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को तथा उन्हे अनुमोदन हेतु टैम्प को अग्रेषित करने को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
26	151	बॅलार्ड इस्टेट तथा मोदी बे इस्टेट में स्वतः अधिभोग भूखंड के लिए दिनांक 24.9.2019 की न्या.सं.संख्या 150 द्वारा यथा अनुमोदित आर आर झोन 2/22 हेतु मूल्यांकन रिपोर्ट का विचार.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 4 में दि गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को तथा उन्हे अनुमोदन हेतु टैम्प को अग्रेषित करने को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
27	152	मोदी बे इस्टेट स्थित आर आर 1897 और आर आर 1452 तथा एलफिन्स्टन इस्टेट स्थित आर आर 937 के मूल्यांकन रिपोर्ट का झोन 2/23 के बारे में दरमानों 2017-22 का भूमि आबंटन समिति द्वारा नियतन का विचार.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 4 में दि गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को तथा उन्हे अनुमोदन हेतु टैम्प को अग्रेषित करने को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
28	153	मुंपोट्ट के नगरी क्षेत्रों मे न्या.सं. संख्या 222 वर्ष 2015 द्वारा अनुमोदन दरमानों 2012-17 में समावेश नहीं किया है ऐसे गृह तथा मिश्रित अधिभोगों, पीटी संरचनाओं तथा झोन्स (एनएचओ) के लिए 1.10.2012 से प्रभावी 30.9.2017 तक व 1.10.2017 से 30.9.2022 तक दरमानों (एसओआर) का नियतन तथा किराये/क्षतिपूर्ति का संशोधन.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 12 (ए) से 12(एच) तक की भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को एवं संपदा प्रबंधक के परिच्छेद 13(ए) तथा 13(बी) के प्रस्ताव को और उन्हे अनुमोदन हेतु टैम्प को अग्रेषित करने को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
29	154	कुलाबा (वेलिंग्टन) इस्टेट स्थित आर आर 895 के मूल्यांकन रिपोर्ट का, झोन 2/12 के बारे में दरमानों 2017-22 का भूमि आबंटन समिति द्वारा नियतन का विचार.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 5 में दि गई भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को तथा उन्हे अनुमोदन हेतु टैम्प को अग्रेषित करने को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
30	155	मासिक किरायेदारी के मामले में दरमानों की मात्रा के उपर और अधिक बृहनमुंबई मनपा उपकर की उगाही तथा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा संपत्ति कर को वहन करना.	मंडल ने दिनांक 23.8.2021 की भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को तथा दिनांक 2.8.2018 की न्या.सं. संख्या 105 द्वारा अनुमोदित दिनांक 2.8.2017 के परिच्छेद 10 (सी) में दी गई भूमि आबंटन समिति की पहले की सिफारिशों के अधिक्रमण में टिप्पणी के परिच्छेद 4 में प्रस्तावित कार्रवाई को तथा उन्हे मुंपोट्ट के नगरी क्षेत्रों के लिए पीजीएलएम के अनुसार अनुमोदन प्राप्त करने हेतु टैम्प को अग्रेषित करने को अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा